न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

“प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021“

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
46/2021	01.09.2021	17.11.2021

अनवान

1. फकरूदीन उर्फ फकीर मोहम्मद पिता खाजु छीपा उम्र वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. कालुलाल पिता प्यारचंद सुथार उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सदीक मोहम्मद पिता अजीज मोहम्मद छीपा उम्र वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. हारून मोहम्मद पिता अजीज मोहम्मद छीपा उम्र वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री बालेन्द्र कोठारी प्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

वकील प्रार्थीगण व प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के पूर्व में दिनांक 01.09.2021 को प्रस्तुत किया । वकील प्रार्थीगण आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र पाण्डोली में हाजिर हुए। हाजिर वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर बहस एक तरफा बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थीगण ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है, वकील प्रार्थीगण ने बताया कि मौजा पाण्डोली पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन के खाता संख्या 340 में आराजी संख्या 2712 रकबा 0.58 [illegible] खाता संख्या 837 में आराजी संख्या 2713 रकबा 0.50 है0 कृषि भूमि जो प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजीयात में अक्सर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.11 12:49:44 IST
Reason: SelfAttested

की नकल पेश की है। अतः प्रार्थीगण की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व वकील प्रार्थीगण को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2074 – 2077 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के खाता संख्या 340 के प्रार्थी संख्या 1 खातेदारी काश्तकार है तथा खाता संख्या 837 के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावें। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा पाण्डोली पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन के खाता संख्या 340 में आराजी संख्या 2712 रकबा 0.58 है0 तथा खाता संख्या 837 में आराजी संख्या 2713 रकबा 0.50 है0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.11 12:49:44 IST
Reason: SelfAttested